



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 07.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



कबरई पुलिस ने गिरफ्तार किया **वारन्टी अभियुक्त**



आज दिनांक 07.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे वाँछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह द्वारा गठित टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर 01 नफर वारंटी अभियुक्त राजा भइया पुत्र शिवराम विश्वकर्मा उम्र 50 वर्ष नि० ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा सम्बन्धित **केश नं० 69/11 वाद अ.सं. 40/2011 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट** को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

राजा भइया पुत्र शिवराम विश्वकर्मा उम्र 50 वर्ष नि० ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० श्री ब्रह्मादीन वर्मा
2. कां० हिमांशु कुमार
3. कां० हरिओम कुमार
4. कां० धर्मेन्द्र यादव



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 07.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कबरई "महिला हेल्प डेस्क" का किया गया औचक निरीक्षण

किया गया। इसके बाद थाना कार्यालयमालग्रह/सीसीटीएनएस/बैरक आदि का निरीक्षण किया गया तथा थाना प्रभारी कबरई श्री दिनेश सिंह को कोविड-19 के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये।



आज दिनांक 07.06 2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के.गौतम द्वारा थाना कबरई का औचक निरीक्षण किया गया। जिसके तहत अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाने पर स्थापित "महिला हेल्प डेस्क" का निरीक्षण किया गया। जिसमें ड्यूटी पर तैनात महिला आरक्षियों से वार्ता कर आने वाली शिकायतों के बारे में जाना व उनके समयबद्ध निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 07.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



क्षेत्राधिकारी नगर/जनपदीय पुलिस द्वारा पैदल गस्त करके क्षेत्रवासियों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के तरीके बताये गये



आज दिनांक 07.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय मय कोतवाली महोबा पुलिस बल के शहर के आल्हा चौक पर कोविड-19 का उल्लंघन करने वालों को रोककर पूछताछ की गई एवं भविष्य में सख्त कार्यवाही की बात कही गई, जनपदीय पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में पैदल गस्त करके वैश्विक महामारी **कोविड-19** संक्रमण के प्रसार को रोकने एवं क्षेत्रवासियों को संक्रमण से बचाव हेतु तरीके बताये गये, जिसमें लोगों को सदैव मास्क का प्रयोग करने व 02

गज की दूरी बनाये रखने एवं बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने को कहा गया साथ ही अपने हाथों को समय-समय पर पानी/साबुन से धोते रहने एवं सफाई पर विशेष ध्यान देने हेतु लोगों को प्रेरित किया गया। साथ ही समस्त थानों द्वारा भी पैदल गस्त के दौरान लोगों से उक्त नियमों का पालन करने की अपील की गई।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **32 ई-चालान व** कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर **31 व्यक्तियों से 5300/-रु० शुल्क वसूला गया।**

